

# GULF JOB PAPER

Monday, September 2, 2024

www.gulfjobpaper.com

3 Pages

Price 0



Join Us on Telegram for Real-Time Updates and Exclusive Content



Get Our App on Google Play Store for an Elevated Experience

Like Us on Facebook for Daily Updates and Engaging



## कुवैत वीजा प्रतिबंधों में ढील से अल्पकालिक किराये की मांग बढ़ी



कुवैत में वीजा प्रतिबंधों में ढील और नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत के बाद, एक महीने की अवधि के लिए अपार्टमेंट के अल्पकालिक किराये की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

सारा प्लाजा और सारा पैलेस होटलों के सीईओ, महमूद अल रबी ने बताया कि वीजा नियमों में बदलाव के बाद, जिसमें पारिवारिक यात्राएं भी शामिल हैं, अपार्टमेंट के किराये की दरें 70 प्रतिशत से 85 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं, जिससे किराये की कीमतों में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्तमान में, एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट का किराया 560 दिनांश और एक स्टूडियो अपार्टमेंट का किराया 350 दिनांश है।

इस मांग में वृद्धि का एक प्रमुख कारण खाड़ी देशों, विशेष रूप से सऊदी अरब से आने वाले पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी है, साथ ही कंपनियों और अस्पतालों की वाणिज्यिक प्रवेश वीजा की जरूरतें भी इसमें योगदान दे रही हैं।

अल रबी ने उम्मीद जताई कि मौसम में सुधार और निवासियों के शीष्मकालीन छुट्टियों से लौटने के साथ ही, इस मांग में और भी वृद्धि होगी।

वहीं, कुवैत कॉन्टिनेंटल होटल्स ग्रुप के मोहम्मद अल शाज़ली ने सख्त वीजा नियमों के कारण उत्पन्न चुनौतियों को उजागर किया, जैसे कि निमंत्रण पत्र और डिग्री अनुवाद की आवश्यकता।

उन्होंने इस क्षेत्र को और प्रोत्साहित करने के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने की अपील की, जो कि COVID-19 महामारी के दौरान भारी प्रभावित हुआ था।

अल शाज़ली ने यह भी बताया कि सुसज्जित अपार्टमेंट और सबलेटिंग विकल्पों की बढ़ती उपलब्धता ने होटल अपार्टमेंट बाजार पर काफी प्रभाव डाला है, जहां एक बेडरूम की दरें प्रति दिन 35 से 65 दिनांश के बीच होती हैं।

यह क्षेत्र उम्मीद कर रहा है कि वीजा में और भी ढील और बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट्स की शुरुआत से बाजार को फिर से जीवंत किया जा सकेगा, क्योंकि कई निवासी, विशेष रूप से वे जिन्होंने अपने परिवारों को वीजिट वीजा पर बुलाया है, किफायती आवास की तलाश में हैं और सबलेटिंग का सहारा ले रहे हैं।

## दुबई में अवैध निवासी UAE वीजा एमनेस्टी के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं, GDRFA ने समझाया

संयुक्त अरब अमीरात में वीजा की अवधि से अधिक रहने वाले निवासी और आगंतुक आगामी एमनेस्टी के लिए तीन माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं, यह जानकारी दुबई के जनरल डायरेक्टर ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड फॉरेन अफेयर्स (GDRFA) के एक शीर्ष अधिकारी ने दी है।

एमनेस्टी का लाभ उठाने वाले लोग कानूनी कार्रवाई और जुर्माने से बच सकते हैं, या तो देश छोड़कर या अपने निवास की स्थिति को नियमित करके, जो दो महीने की अवधि के दौरान किया जा सकता है। यह अवधि रविवार, 1 सितंबर से शुरू हो रही है।

जहाँ अवैध निवासियों के आवेदन दो माध्यमों से स्वीकार किए जा सकते हैं, उनमें से एक माध्यम उन लोगों की बायोमेट्रिक्स को रिकॉर्ड करेगा जिन्हें इसे जमा करने की आवश्यकता होती है।

## दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने UAE वीजा एमनेस्टी शुरू होने पर आवेदकों के लिए सलाह जारी की

आज से UAE सरकार की दो महीने की एमनेस्टी योजना शुरू हो रही है। इस अवसर पर भारतीय वाणिज्य दूतावास (CGI) ने भारतीय नागरिकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं, जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं।

वाणिज्य दूतावास द्वारा जारी प्रेस बयान में कहा गया है:

1. जो आवेदक भारत वापस लौटना चाहते हैं, वे आपातकालीन प्रमाणपत्र (EC) के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो आवेदक अपने निवास की स्थिति को नियमित करना चाहते हैं, वे कम अवधि के पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
2. आवेदक वाणिज्य दूतावास में मुफ्त में (निःशुल्क) EC के लिए आवेदन कर सकते हैं। दुबई में CGI और अवीर इमिग्रेशन सेंटर में सुविधा काउंटर

लगाए जाएंगे। वाणिज्य दूतावास में सुविधा काउंटर 2 सितंबर से सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यरत रहेगा।

3. आवेदक अपने EC को दुबई स्थित वाणिज्य दूतावास से आवेदन जमा करने के अगले दिन दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच प्राप्त कर सकते हैं।
4. आवेदक बिना किसी पूर्व अपॉइंटमेंट के दुबई और उत्तरी अमीरात में किसी भी BLS केंद्र पर जाकर कम अवधि के पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। BLS केंद्रों का विवरण CGI वेबसाइट पर उपलब्ध है।
5. दुबई और उत्तरी अमीरात के BLS केंद्र एमनेस्टी अवधि के दौरान सभी रविवार को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे, ताकि जो आवेदक एमनेस्टी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उनकी सेवा की जा सके।

यात्रा दस्तावेज जारी करने की प्रक्रिया के बारे में किसी भी जानकारी के लिए, आवेदक सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक



050-9433111 पर संपर्क कर सकते हैं। वे 800-46342 (24/7) पर PBSK हेल्पलाइन से भी संपर्क कर सकते हैं। मार्गदर्शन के लिए भारतीय समुदाय संघों के संपर्क बिंदुओं से भी संपर्क किया जा सकता है।

इन संघों के संपर्क बिंदुओं का विवरण निम्नलिखित है:

- इंडियन सोशल क्लब, फुजैराह: हाशिम - 050-39013301
- इंडियन रिस्लीफ कमेटी, रास अल खैमाह: पद्मराज - 056-14642751
- इंडियन एसोसिएशन, अजमान: रूप सिद्धू - 050-63304661
- इंडियन एसोसिएशन, शारजाह: हरी - 050-7866591 / 06-56108451
- इंडियन एसोसिएशन, उम्म अल क्वैन: सजाद नतिका - 050-57615051
- इंडियन सोशल क्लब, खोरफकनन: बिनॉय फिलिप - 055-38941011
- इंडियन सोशल कल्चरल सेंटर, कल्बा: जैनुद्दीन - 050-67080081



"इस बार दुबई में वीजा एमनेस्टी के लिए आवेदन करने के तीन तरीके हैं,"

मेजर-जनरल ओबैद मुहैर बिन सुरू, GDRFA के डिप्टी डायरेक्टर-जनरल ने शनिवार को ग्लफ न्यूज़ को बताया।

GDRFA ने अल अवीर में अपने कार्यालय परिसर में विशेष एमनेस्टी टेंट की व्यवस्था की है, बिन सुरू ने कहा।

अवीर टेंट्स अल अवीर में एमनेस्टी टेंट्स सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक खुले रहेंगे। ये टेंट उन लोगों की बायोमेट्रिक्स को रिकॉर्ड करने के मुख्य केंद्र होंगे, जिन्हें इसे जमा करने की आवश्यकता होती है।

इसका मतलब यह है कि सभी आवेदकों को अल अवीर जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल उन्हीं आवेदकों को इन टेंट्स में जाना अनिवार्य होगा जिन्हें अपनी बायोमेट्रिक्स जमा करनी है या जिनको आवेदन जमा करने के बाद अल अवीर जाने का निर्देश दिया गया है।

अमेर केंद्र बिन सुरू ने बताया कि अन्य आवेदक अपने आवेदन जमा करने के लिए किसी भी अमेरिकेंद्र पर जा सकते हैं। दुबई में 86 अमेरिकेंद्र हैं जो आवेदकों को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं।

"हमने सभी अमेरिकेंद्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है। उनमें से अधिकांश ने इस रविवार, 1 सितंबर को एमनेस्टी प्रक्रियाओं को सुचारू बनाने के लिए केंद्र खोलने पर सहमति जताई है। एमनेस्टी के दौरान आगामी सप्ताहांतों में काम करने का निर्णय प्रत्येक केंद्र पर निर्भर करता है। कुछ केंद्र सप्ताहांत के दिनों में काम कर सकते हैं जबकि कुछ नहीं कर सकते हैं," उन्होंने समझाया।

ऑनलाइन सेवाएं इसके अलावा, लोग GDRFA की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से 24x7 आवेदन भी जमा कर सकते हैं, अधिकारी ने बताया। "हमारी ऑनलाइन चैनलों के माध्यम से सेवाएं 24x7 उपलब्ध हैं।"

बिन सुरू ने निवासियों और आगंतुकों से, जो वीजा एमनेस्टी के लिए पात्र हैं, आगे आने और अपने निवास की स्थिति को वैध बनाने के इस अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया।

## सऊदी अरब: कामगारों की अंतिम विदाई के लिए नियोक्ता जिम्मेदार



सऊदी अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके विदेशी कामगार, जिन्हें अंतिम-निकास वीजा दिया गया है, ने साम्राज्य छोड़ दिया है।

सऊदी जनरल डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट्स ने जोर देकर कहा है कि अगर किसी विदेशी कामगार के लिए अंतिम-निकास वीजा जारी किया गया है, तो नियोक्ता पर उसकी विदाई की पूरी जिम्मेदारी होती है।

नियोक्ता की जिम्मेदारी केवल वीजा जारी करवाने तक सीमित नहीं है।

अगर नियोक्ता को यह पता नहीं चलता कि अंतिम-निकास वीजा जारी होने के बाद कामगार साम्राज्य में कहां रह रहा है, तो उसे वीजा रद्द करने के लिए आवेदन करना होगा और अधिकारियों के पास गैरहाजिरी की रिपोर्ट दर्ज करनी होगी।

सऊदी अरब में एक बड़ी संख्या में विदेशी कामगार रहते हैं।

हाल के वर्षों में, सऊदी अरब ने अपने रोजगार बाजार को अधिक आकर्षक और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कई श्रम सुधारों को लागू किया है।

इस महीने की शुरुआत में, सऊदी सरकार ने श्रम अनुबंधों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण बदलावों को मंजूरी दी है।

अवधि-निर्धारित नहीं होने वाले रोजगार अनुबंध को समाप्त करने के लिए अब कर्मचारी द्वारा नोटिस की अवधि 30 दिन और नियोक्ता द्वारा 60 दिन की रखी गई है।

नए बदलावों के तहत नियोक्ता को ऐसे किसी भी कार्य से बचने के लिए कहा गया है जो कर्मचारियों के बीच समान अवसरों के सिद्धांत को कमजोर कर सकता है।

इसके अलावा, यदि कर्मचारी के भाई या बहन की मृत्यु हो जाती है, तो उसे तीन दिन का सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। इन संशोधनों के अनुसार, मातृत्व अवकाश को 10 सप्ताह से बढ़ाकर 12 सप्ताह कर दिया गया है।

एक अन्य संशोधन के अनुसार, परीक्षण अवधि में काम की अवधि अधिकतम 180 दिन होगी।

ये संशोधन साम्राज्य के आधिकारिक गजट में प्रकाशन की तारीख से 180 दिन बाद प्रभावी होंगे।

इनका उद्देश्य सऊदी श्रम बाजार को बेहतर बनाना, नौकरी की स्थिरता को मजबूत करना, संविदात्मक संबंधों के पक्षों के अधिकारों की सुरक्षा, प्रशिक्षण के अवसरों को बढ़ाना और सऊदी नागरिकों के लिए रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है, ऐसा सऊदी मानव संसाधन मंत्रालय ने कहा।

2020 में, सऊदी अरब ने बड़े श्रम सुधारों की शुरुआत की, जिससे इसके प्रायोजन प्रणाली में बड़े बदलाव आए। ये सुधार, जो अगले वर्ष प्रभावी हुए, विदेशी कामगारों को नौकरी परिवर्तन और नियोक्ताओं की मंजूरी के बिना निकास और पुनः प्रवेश वीजा जारी करने की अनुमति देते हैं।

To publish on these Pages, Contact us  
contact@gulfjobpaper.com



To publish on these Pages, Contact us  
+91 87099 43060



